

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27 (309) ग्रावि/मुप-5/पीएमएवाई/अभि./आंगनबाडी मरम्मत सुदृढीकरण/2015-16 जयपुर, दि. 03.2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र),
समस्त, राजस्थान।

विषय:- राजकीय भवनों में संचालित आंगनबाडी केन्द्र भवनों की मरम्मत व सुदृढीकरण कार्य पूर्ण कराने एवं प्रगति के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवायें जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 11(3)/मो./बजट घोषणा/मरम्मत/ICDS/2016-17 दिनांक 22.02.2017 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 24.11.2016, 14.12.2016 एवं 09.02.2017 ।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय भवनों में संचालित आंगनबाडी केन्द्र भवनों के मरम्मत व सुदृढीकरण के कार्य हेतु संयुक्त शासन सचिव, समेकित बाल दिवस सेवाएं, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आदेश दिनांक 28.10.2016 के अनुसार प्रथम किस्त की राशि जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित करते हुये निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात 3 माह में पूर्ण कराने एवं प्रगति से प्रत्येक माह की 7 तारीक तक विभाग को अवगत कराने हेतु प्रासांगिक पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था। परन्तु **अधिकांश जिलों से प्रगति रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।** मात्र 5 जिलों (अजमेर, धौलपुर, झुंझुनू, चित्तौडगढ़ व प्रतापगढ़) से आंशिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इन जिलों में मात्र अजमेर व धौलपुर में ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य/अधिकांश जिलों द्वारा वांछित स्वीकृतियां ही जारी नहीं की है। यदि स्वीकृतियां जारी की है तो निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किए है।

इस सम्बन्ध यह उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य माननीय मुख्य मंत्री, महोदया की वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 121 के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि -


- 1 मरम्मत एवं सुदृढीकरण कार्य के सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्य 3 माह में पूर्ण करवाया जावें।
- 2 निर्माण कार्य की मासिक प्रगति एवं व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र (सोफ्ट प्रति संलग्न) में प्रतिमाह 7 तारीख तक निदेशालय, आईसीडीएस, जयपुर को उनके ई-मेल jdm.wcd@rajasthan.gov.in पर एवं इस विभाग को ई-मेल pdengg_rdd@yahoo.com पर भिजवाया जावें।
- 3 प्रथम किस्त की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र आईसीडीएस को प्रस्तुत कर द्वितीय किस्त की राशि जारी प्राप्त की जावें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार


(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें, 2, जलपथ, गांधी नगर जयपुर को उनके प्रासांगिक पत्र के क्रम में अनुरोध है कि स्वीकृति योग्य केन्द्रों की सूची सम्बन्धित जिला परिषद को उपलब्ध करवाने बाबत उपनिदेशक, महिला बाल विकास को निर्देशित कराने का श्रम करावें।
5. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
6. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
7. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग समस्त राजस्थान को स्वीकृति योग्य केन्द्रों की सूची शीघ्र जिला परिषद को उपलब्ध कराने हेतु।
8. अधिशाषी अभियन्ता (अभि.) जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
9. सहायक प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने बाबत।
10. रक्षित पत्रावली।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

